जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 29.05.2024

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानवर चोरी के मामले में 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा जानवर चोरी से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मुकेश पुरोहित पुत्र प्रताप ग्राम सुकरौली थाना दुधारा संत कबीर नगर 2. अफरोज पुत्र हमीद निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर 3. रफीक पुत्र लड्डन ग्राम बंजरिया थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को टेढ़वा सिवान के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुकेश पुरोहित पुत्र प्रताप ग्राम सुकरौली थाना दुधारा संतकबीरनगर।
2. अफरोज पुत्र हमीद निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
3. रफीक पुत्र लड्डन ग्राम बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

*मु0अ0स0 140/2024 धारा 379/411/11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 29.05.2024

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत दुर्गा मंदिर से इवेन्ट संख्या 39651 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (**01-शिवम भास्कर पुत्र धर्मेन्द्र निवासी महुली खास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर)** के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-*मु0 आ0 संजय पाल, आ0 मुकेश कुमार, हो0चा0 संजय चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 45 वाहनों से 54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 45 वाहनों से 54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।